



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234701
CG-DL-E-31032022-234701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1448]
No. 1448]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1491(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 341 के कि.मी. 38.3 से कि.मी.65.478 (प्रांत कचेरी, भुज) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17.09.2021" को "टाइम्स आफ इंडिया" और "संदेश" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 341 के कि.मी. 38.3 से कि.मी.65.478 (प्रांत कचेरी, भुज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: कच्छ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध/ व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भुज				
	गांव का नाम: भुज शीम				
1	494	निजी	कृषि	0.0189	कनक प्रसाद मुरजी राजगोर अन्य 13 (494)
	गांव का नाम: चुबड़क				
2	185/1	सरकारी	सरकारी पड़त	0.0147	श्री सरकार (185/1)
3	204	सरकारी	सरकारी पड़त	0.0383	श्री सरकार (204)
	गांव का नाम: कुकमा				
4	39/2	निजी	कृषि	0.6646	कानजी पांचा दाना गागल, मावजी देवा वसा छांगा (39/2)
5	73/4,Road	निजी	गैर कृषि	0.0579	जयन्तीदान इश्वरदान गढ़वी (73/4,रोड)
6	95/6	निजी	गैर कृषि	0.0636	माधव जी विसराम चौहान (95/6)
	गांव का नाम: रेलड़ी मोटी				
7	167/Paki 1, 167/paki2	निजी	कृषि	0.5152	डा. दमयंतीबेन कृष्णकान्त (कनुभाई) गनात्रा, सत्यम उर्फ मोंटीभाई कृष्णकान्त (कनुभाई) गनात्रा

					(167/पैकी 1)
			कुल	1.3732	

[फा. सं. NHA/Four Lane/GDM/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O. 1491(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-341 on the stretch of land from Km 38.3 to Km 65.478 (Prant office, Bhuj) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Sandesh” both dated 17.09.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the in the stretch of land from NH-341 (Prant office, Bhuj) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			District: KACHCHH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhuj				
	Village: Bhuj Sheem				
1	494	Private	Agricultural	0.0189	Kanak Prasad Murji Rajgor Other-13 494
	Village: Chubdak				
2	185/1	Government	Govt. Padat	0.0147	Gujarat Govt. 185/1

3	204	Government	Govt. Padat	0.0383	Gujarat Govt. 204
	Village: Kukma				
4	39/2	Private	Agricultural	0.6646	Kanji Pancha Dana Gagal, Mavji Deva Vasa Chhanga 39/2
5	73/4,Road	Private	Non- Agricultural	0.0579	Jayantidan Iswardan Gadvi 73/4,Road
6	95/6	Private	Non- Agricultural	0.0636	Madhavji Vishram Chauhan 95/6
	Village: Reldi Moti				
7	167/Paki 1, 167/paki2	Private	Agricultural	0.5152	Dr.Damayantiben Krishankant (Kanubhai) Ganatra Satyam urf Montybhair Krishankant (Kanubhai) Ganatra 167/Paki 1
			TOTAL	1.3732	

[F. No. NHAI/Four Lane/GDM/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director